भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2650

सोमवार, 09 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)

पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत लाभार्थी

†2650. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक नामांकित श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है और तमिलनाडु में वर्तमान समय तक सक्रिय अभिदाताओं की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत एकत्रित कुल अंशदान कितना है और संवितरित की गई कुल पेंशन कितनी है;

(ग) ग्रामीण, असंगठित और सीमांत समुदायों से लाभार्थियों का प्रतिशत कितना है और सरकार द्वारा महिला श्रमिकों को पर्याप्त रूप से शामिल किए जाने के लिए किए गए उपाय क्या हैं;

(घ) लाभार्थियों के खाते निष्क्रिय या समाप्त होने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा योजना में उनकी सहभागिता बढ़ाने और उसे बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) पीएम-एसवाईएम लाभार्थियों को अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कल्याणकारी पहलों से जोड़ने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा पीएम-एसवाईएम के बारे में श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए संचालित वित्तीय साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और नामांकन बढ़ाने में उनकी प्रभावशीलता क्या है; और

(छ) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा समावेशन, सेवानिवृत्ति लाभ और वित्तीय अंतर्वेशन पर योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए लागू निगरानी और मूल्यांकन तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (छ): दिनांक 04.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना के अंतर्गत नामांकित असंगठित कामगारों की कुल संख्या 52,49,582 (वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए 5,06,603 लाभार्थियों के थोक पंजीकरण सहित) है। इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य में सक्रिय लाभार्थियों की संख्या 21,551 है।

जारी/2----

देश भर में पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत सरकार का 50 प्रतिशत अंशदान 1837.46 करोड़ रुपये है। लाभार्थियों को पेंशन 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद शुरू होगी। चूंकि यह योजना वर्ष फरवरी, 2019 में शुरू की गई थी, इसलिए पेंशन का वितरण फरवरी, 2039 से पहले शुरू नहीं होगा।

यह योजना मुख्य रूप से असंगठित कामगारों को लक्षित करती है, जिसमें स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, निर्माण कामगारों, कृषि मजदूर और अन्य अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार शामिल हैं। लाभार्थियों का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित है।

चूंकि पीएम-एसवाईएम योजना अंशदायी प्रकृति की है, इसलिए योगदान का 50 प्रतिशत, लाभार्थी द्वारा उसके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से वहन किया जाता है और शेष 50 प्रतिशत मिलान अंशदान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के खातों के निष्क्रिय होने या समाप्त होने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:

(i) असंगठित कामगारों की आय में अक्सर उतार-चढ़ाव या मौसमी आय होती है, जिसके कारण मासिक योगदान छूट जाता है और तीन महीने से अधिक और तीन वर्ष के भीतर योगदान का भुगतान नहीं होने पर खातों की निष्क्रियता होती है।

(ii) आम तौर पर अंशदान, ग्राहक के बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से काटा जाता है। यदि डेबिट के समय खाते में पर्याप्त शेष राशि नहीं है, तो अंशदान विफल हो जाता है और समय की अवधि में निष्क्रियता का कारण बन सकता है।

(iii) यदि योजना रिकॉर्ड में विवरण को अपडेट किए बिना लिंक किया गया बैंक खाता निष्क्रिय, बंद या बदल जाता है, तो योगदान का ऑटो-डेबिट नहीं हो सकता है।

योजना की निगरानी करने, प्रतिधारण में सुधार करने और नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं -

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें करना।
ii. पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को नामांकित करने हेतु सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को प्रोत्साहन प्रदान करना।
iii. स्वैच्छिक निकास, रिवाइवल मॉड्यूल, दावा की स्थिति और खाता विवरण जैसी नई सुविधाओं का शुभारंभ।
iv. निष्क्रिय खातों की रिवाइवल अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करना।
v. ई-श्रम पोर्टल के साथ पीएम-एसवाईएम का दोतरफा एकीकरण।

जारी/3---

vi. जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमएस अभियान चलाना।

vii. पीएम-एसवाईएम योजना के तहत नामांकन के संबंध में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखना।

viii. पीएम-एसवाईएम के तहत असंगठित कामगारों के नामांकन के लिए एक राष्ट्रव्यापी विशेष पंजीकरण अभियान का आयोजन निम्नानुसार किया गया है:

• चरण-I: शहरी क्षेत्र दिनांक 15 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक - पूरा किया गया।

• चरण-II: ग्रामीण क्षेत्र दिनांक 16 फरवरी 2026 से 15 मार्च 2026 तक

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म कामगारों और प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों के एक व्यापक, केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल शुभारंभ किया। पोर्टल कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर पंजीकरण करने में सक्षम बनाता है और उन्हें एक यूनिवर्सल एकाउंट संख्या (यूएएन) प्रदान करता है।

असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच के लिए ई-श्रम को वन-स्टॉप-सोल्यूशन के रूप में विकसित करने संबंधी बजट घोषणा 2024-25 को ध्यान में रखते हुए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दिनांक ने 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम - "वन-स्टॉप-सोल्यूशन" का शुभारंभ किया। इस पहल में एक ही पोर्टल, अर्थात् ई-श्रम पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत किया जाना शामिल है, जो पंजीकृत कामगारों को योजनाओं तक पहुंच प्रदान करता है एवं पोर्टल के माध्यम से उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में उन्हें सक्षम बनाता है।

ई-श्रम कार्डधारकों को लाभ प्रदान करने और सामाजिक सुरक्षा, बीमा या कौशल विकास कार्यक्रमों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्व-निधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीआरएएमजी), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा, नौकरी के अवसरों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), पेंशन लाभों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसएम) तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के अभिसरण पोर्टल के साथ ई-श्रम को जोड़ा गया है।

****